

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-38/2024 श्र०सं०...../श्री कुमार नलिनिकान्त, श्रम अधीक्षक, अधिनियम, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता नियम 234 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 17.03.2025 से दिनांक 24.04.2025 तक 39 दिनों (बिहार सेवा संहिता के नियम 232 में निहित प्रावधान के तहत 78 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) के रूपान्तरित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त श्री कुमार नलिनिकान्त के पक्ष में दिनांक 25.04.2025 तक कुल 141 दिनों का रूपान्तरित छुट्टी आदेय रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-38/2024.....03...../श्र०सं० पटना, दिनांक-01/6/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री कुमार नलिनिकान्त, श्रम अधीक्षक, अधिनियम, भागलपुर एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रमायुक्त, बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अंतर्गत Leave Management Portal पर श्री कुमार नलिनिकान्त के शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।

3. श्री कुमार नलिनिकान्त, श्रम अधीक्षक, अधिनियम, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में सभी प्रकार के अवकाश अभ्यावेदन HRMS के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


29.5.26
सरकार के संयुक्त सचिव